Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 36/2023

Kulsum Khatoon ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.10.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–32/2012 में दिनांक–24.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 18429/2013 में दिनांक–24.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि आवेदिका किशनगंज परियोजनान्तर्गत पंचायत–दौला, केन्द्र सं0–78 में दिनांक–30.11.2004 से सेविका पद पर विधिवत् चयनित होकर विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। दिनांक–16.07.2012 को लगभग 11:50 बजे पूर्वाह्न महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उक्त केन्द्र का जिस समय निरीक्षण किया गया उस समय काफी वर्षा होने के कारण बच्चों की उपस्थिति कम (10 बजे उपस्थित) थी एवं सामाजिक अंकक्षण का कार्य भी नहीं किया जा सका था। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण पंजी में बच्चों को पोषाक में पाये जाने का जिक्र है। उनके द्वारा सामाजिक अंकक्षण कराने तथा बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का निदेश दिया गया किन्तु निरीक्षण पंजी में आवेदिका के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है। निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज ने पत्रांक–242 दिनांक–16.08.2012 द्वारा आवेदिका के चयनमुक्ति की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज से की गई। आवेदिका के विरूद्ध पोषाहार/सुखा राशन का वितरण कम मात्रा में किया जाना, सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया जाना एवं कम संख्या में बच्चों की उपस्थिति का आरोप प्रतिवेदित है। आवेदिका से स्पष्टीकरण की माँग करते हुए अपने पक्षों को रखने का निदेश दिया गया। इनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसे मनमाने ढ़ंग से अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध 3000/– रू0 का आर्थिक दंड के साथ चयनमुक्ति का आदेश संसूचित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रावधान अनुसार इनके द्वारा जिला पदाधिकारी,	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 19.10.2023	किशनगंज के समक्ष उक्त अपील दायर किया गया जिसे अस्वीकृत हो जाने के कारण गलत सलाह में आवेदिका माननीय उच्च न्यायालय, पटना चली गई। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं क्रमशः अवैध है। चयन पश्चात् आवेदिका द्वारा बिना किसी शिकायत के लंबे समय तक केन्द्र का संचालन निष्ठापूर्वक किया जा रहा था। निरीक्षण तिथि को मूसलाधार वर्षा के कारण वास्तव में बच्चों की उपस्थिति कम थी और इसी कारण सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भी नहीं किया जा सका था। इसमें अपीलार्थी की कोई गलत मंशा नहीं थी। इनके विरूद्ध पोषक क्षेत्र के किसी लाभार्थी द्वारा कभी कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निरीक्षण पंजी में आवेदिका के विरूद्ध किसी प्रकार की अन्यथा टिप्पणी दर्ज नहीं है। विभागीय पत्रांक–956 दिनांक–14.03.2012 के आलोक में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय कुछ लाभार्थियों से पूछताछ एवं उनका बयान दर्ज किया जाना अनिवार्य था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है। आवेदिका मेधा के आधार पर चयनित हुई थी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त केन्द्र काफी दीनहीन हालत में संचालित किया जा रहा था तब इनके पिता द्वारा केन्द्र के भवन हेतु राज्य सरकार को विक्रय संलेख सं0–8098 दिनांक–23.12.2011 द्वारा अपनी मूल्यवान 0.4 डी0 भूमि बच्चों के हित में महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम दान में दी गई जो आवेदिका के खास हिस्से में प्राप्त थी। वर्त्तमान में उक्त भूमि पर केन्द्र भवन निर्मित है। निम्न दोनों न्यायालयों द्वारा आधारहीन एवं साक्ष्यविहीन तथ्यों के आलोक में चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया है जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक–1093 दिनांक–15.03.2023 एवं पत्रांक–2970 दिनांक–01.08.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज से निम्न न्यायालय मूल अभिलेख की माँग की गई जो अप्राप्त रही। आवेदिका के सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका मेधा के आधार पर प्रश्नगत केन्द्र पर विधिवत् चयनित होकर सेविका पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। आवेदिका के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित है कि बच्चों की कम उपस्थिति एवं सामाजिक अंकेक्षण का कार्य नहीं कराया गया था जबकि निम्न न्यायालय आदेश में यह अंकित है कि पर्यवेक्षिका के जाने और वर्षा के बाद 21 बच्चे केन्द्र पर उपस्थित हुए तथा समाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया। फलतः उक्त आरोप बहुत प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। मध्य जुलाई का माह होने के कारण वर्षा के तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता है। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निरीक्षण के समय विभागीय पत्रांक–956 दिनांक–14.03.2012 कंडिका–III (1 एवं 4) के आलोक में – ''केन्द्र पर पाये	

Web Copy Not Official.

		गये हर अनियमितताओं के लिए पंजीकृत बच्चों (नाम तथा पंजीकरण संख्या सहित) के लाभुकों के तीन बयान लिये जायेंगे'' का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता है जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन स्वतः खंडित हो जाता है। विभागीय पत्रांक–2447 दिनांक–06.06.2018 द्वारा आँगनबाड़ी सेविका के दंड का निरूपन एवं राशि वसूली की प्रक्रिया :– ii : दंड से संबंधित दिशा–निर्देश की कंडिका (क) में उल्लिखित है कि उपस्थित बच्चों के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषाहार बनाने की स्थिति में/फर्जी उपस्थिति के आधार पर पोषाहार राशि क्रमशः	
	लगातार 19.10.2023	के गबन की स्थिति में/टी0एच0आर0 वितरण में गड़बड़ी के विरूद्ध समतुल्य राशि की वसूली सेविका के मानदेय के मद से की जायेगी। उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृत्ति होने पर 1000/– रू0 दंड़ के रूप अतिरिक्त राशि वसूले जाने का प्रावधान है। दो बार वसूली के बाद भी सुधार नहीं होने पर जाँचोपरांत नियमानुसार चयनमुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। इससे पूर्व आवेदिका द्वारा केन्द्र संचालन के विरूद्ध उपरोक्त कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है और उनके द्वारा ऐसा कृत्य बार–बार किये जाने का कोई साक्ष्य प्रतिवेदित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इस प्रावधान की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। अभिलेख में संलग्न ग्राम पंचायत राज, दौला के ग्रामीणों/लाभुकों द्वारा आवेदिका के केन्द्र संचालन के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए इसे पुनर्बहाल करने का अनुरोध किया गया है जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा–मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य द्वारा सत्य एवं सही बताते हुए सहमति जतायी गई है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा जानबूझकर कोई अनियमितता नहीं बरती गई है तथा इसमें उनकी कोई गलत मंशा परिलक्षित नहीं होती है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में आवेदिका के विरूद्ध 3000/– रू0 के आर्थिक दंड को यथावत् रखते हुए सेविका पद से चयनमुक्ति आदेश को निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षण वाद स्वीकृत। आवेदिका को पूर्व चयनित केन्द्र सं0–78 पर पुनः सेविका पद पर बहाल करने का आदेश दिया जाता है। चयनमुक्ति अवधि में इन्हें किसी प्रकार का मानदेय भुगतेय नहीं होगा। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालयों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.